कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22496/विविध परीक्षा(11)/वो–II/2025/ दिनांक : As in E-Sign

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :– रीट परीक्षा– 2024 के आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– समन्वयक एवं सचिव, कार्यालय–राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)–2024, अजमेर (राजस्थान) का पत्र क्रमांक : रीट/2024/332 दिनांक : 19.02.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसंगानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) का आयोजन दिनांक : 27 व 28 फरवरी, 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि परीक्षा में बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, अतः परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया हैं। प्रांसगिक पत्रानुसार परीक्षा संचालन हेतु आवश्यक स्टाफ एवं सुविधाओ हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करने हेतु सहयोग करावें।

उक्त परीक्षा के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु राज्य के जिन जिलों में राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में परीक्षा का आयोजन किया जाना हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में परीक्षा दिवस दिनांक : 27 व 28 फरवरी, 2025 को परीक्षा केन्द्रों पर विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक अवकाश रहेगा।

उल्लेखितानुसार प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु अपने क्षेत्राधिकार के समस्त विभागीय अधीनस्थों हेतु आदेश/निर्देश जारी कर पालना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न : यथोक्त।

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर (जरिये ई–मेल)।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (जरिये ई–मेल)।
4. समन्वयक एवं सचिव, कार्यालय–राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)–2024, अजमेर (राजस्थान) को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में (जरिये ई–मेल)।

5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाये जाने बाबत (जरिये ई–मेल)।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत (जरिये ई–मेल)।
7. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक एवं प्रारम्भिक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त परीक्षा के सफल एवं सुचारू संचालन बाबत अपने क्षेत्राधिकार के जिला कलक्टर कार्यालय में सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर, परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश प्राप्त करते हुए उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे** (जरिये ई–मेल)।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ (जरिये ई–मेल)।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Document certified by ASHISH MODI <ASHISHMODI.KGP@GMAIL.COM>.
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :24-02-2025 12:08:37

RajKaj Ref No.: 13774832